



# बिहार विधान सभा

## कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा  
तृतीय सत्र

29 जुलाई, 2021 ई०  
वृहस्पतिवार, तिथि  
07 श्रावण, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

### प्रश्नोत्तर

1. अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

#### ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. सर्वश्री जनक सिंह, संजीव चौरसिया एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [सामान्य प्रशासन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।  
[दिनांक 27 जुलाई, 2021 से स्थगित]
3. सर्वश्री अजीत शर्मा, समीर कुमार महासेठ एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [सामान्य प्रशासन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।  
[दिनांक 27 जुलाई, 2021 से स्थगित]
4. सर्वश्री आलोक कुमार मेहता, ललित कुमार यादव एवं श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [सामान्य प्रशासन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
5. सर्वश्री कृष्णानंदन पासवान, अनिल कुमार एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [कृषि विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

#### सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

6. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या-3516, दिनांक-26.04.2017); बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या-4412, दिनांक-23.05.2017); बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदनों "राजस्व प्रक्षेत्र" एवं "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।



8. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का "राजस्व प्रक्षेत्र" एवं "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो।"
9. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो।"
11. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
12. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-85, दिनांक-17.03.2021 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
13. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, दिनांक-25.11.2020; एस०ओ०-192, 193, 194, 195, 196, दिनांक-11.12.2020; एस०ओ०-197, दिनांक-17.12.2020; एस०ओ०-199, 200, 201, 202, 203, 204, दिनांक-18.12.2020; एस०ओ०-205, 206, दिनांक-23.12.2020; एस०ओ०-241, 73, दिनांक-30.12.2020; एस०ओ०-74, 75, दिनांक- 14.01.2021; एस०ओ०-84, दिनांक-12.03.2021; एस०ओ०-86, दिनांक-26.03.2021; एस०ओ०-99, 100, 101, दिनांक-02.06.2021; एस०ओ०-104, 105, दिनांक-14.06.2021; एस०ओ०-106, दिनांक-16.06.2021; एस०ओ०-108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, दिनांक-01.07.2021 एवं एस०ओ०-117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, दिनांक-09.07.2021 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
14. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए)(2) के तहत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2016-17 के आठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
15. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
16. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा "खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957" की धारा-28(3) एवं "बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019" के नियम-90 के तहत "बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021" की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
17. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना।
18. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

**मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)**



वित्तीय कार्य

19. वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग [स्वास्थ्य विभाग] पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा तथा शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबन्ध) द्वारा लिया जायेगा।

[मांग एवं कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है।]

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021”

20. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
21. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
22. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021” पर विचार हो।
23. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021” स्वीकृत हो।
24. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

भूदेव राय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-08/2021- 2498

/वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जुलाई, 2021 ई०।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के सचिव, बिहार/ कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/07/21  
(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-08/2021- 2498

/वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जुलाई, 2021 ई०।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित।

21/07/21  
(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-08/2021- 2498

/वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जुलाई, 2021 ई०।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

21/07/21  
(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।